[illegible]

([illegible])

1. जिला– जयपुर, [illegible] जयपुर, वर्ष–2022
प्र0इ0रि0 सं.........344/2022 [illegible] 31/8/2022.......

2. (I) अधिनियम:- [illegible], 2018......
(II) अधिनियम .... [illegible] ....
(III) अधिनियम .... [illegible] ....
(IV) अन्य अधिनियम [illegible] ....
(अ)

3. रोजनामचा आम [illegible] 576 [illegible] 6:30 P.M. ....
(ब) अपराध घटना का दिन ...[illegible]... दिनांक...29.04.2022...समय.............
(स) थाना पर सूचना [illegible] होने की [illegible]...समय........

4. सूचना की किस्म [illegible]

5. घटनास्थल :– हल्का पटवारी [illegible] जयपुर
(अ)पुलिस थाना से [illegible] करीब 50 किमी
(ब) बीट संख्या .... [illegible] ....
(स) यदि इस पुलिस [illegible] से [illegible]
पुलिस थाना ..... [illegible] जिला ....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता –
(अ) नाम– श्री [illegible]
(ब) पिता/पति का नाम– श्री [illegible]
(स) जन्म तिथि– [illegible]
(द) राष्ट्रीयता - [illegible]
(य) पासपोर्ट संख्या [illegible] की तिथि
जारी होने की [illegible] ....
(र) व्यवसाय – [illegible]
(ल) पता– [illegible] जिला जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध [illegible] :–
राजकुमार गोदारा पु. श्री [illegible] शास्त्रीनगर, जयपुर
तत्कालीन पटवारी [illegible] (कार्यवाहक) तहसील चौमू
जिला जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता [illegible]

9. चुराई हुई / [illegible] तो अतिरिक्त
पन्ना लगायें)..

10. चुराई हुई/ [illegible] सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. [illegible] ....

12. विषय वस्तु [illegible] अतिरिक्त पन्ना लगायें):– दिनांक [illegible] पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम [illegible] जयपुर द्वारा प्रस्तुत शिकायती [illegible] शिकायती प्रार्थना पत्र स्वयं के [illegible] बताया। परिवादी

द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र का मजमून इस प्रकार है "सेवामें श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर विषय– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत् मांगने कम में, महोदय, निवेदन है कि मैं महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा निवासी पाट्टयावाली ढाणी ग्राम विमलपुरा पुलिस थाना कालाडेरा जिला जयपुर का मूल निवासी हूं। मेरे चाचाजी श्री बनवारी लाल शर्मा व जगदीश प्रसाद शर्मा के नाम से मेरे दादाजी ने कस्बा चौमूं नेशनल हाईवे पर एक भूखंड लिया था जिसका मेरे पिताजी के नाम गिफ्ट डीड की गई थी गिफ्ट डीड में भूखंड की नाप 1034.48 वर्ग गज की जगह 1034.48 वर्ग मीटर हो गई थी जिसका शुद्वीकरण मेरे पिताजी द्वारा करवा लिया गया था गिफ्ट डीड का नामांतकरण खुलवाने के लिये जब मैं पटवारी हल्का श्री राजकुमार गोदारा के पास गया तो उसने नामांतकरण खोलने की एवज में मुझसे 1,50,000/–रूपये कि रिश्वत की मांग की है मैंने पटवारी जी को कहा कि गिरदावर व तहसीलदार जी से आप खुद बात करोगे तब पटवारी ने कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है आप टेनसन मत लो और यह भी कहा कि 1,50,000/– में गिरदावर व तहसीलदार का भी हिस्सा इसी में से है। मैं मेरे जायज काम के बदले रिश्वत के रूप में 1,50,000/– रूपये नहीं देना चाहता हूं और उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, इत्यादी। एसडी महेश कुमार प्रार्थी महेश कुमार पुत्र बाबुलाल उम्र 26 साल निवासी पाट्टयावाली ढाणी ग्राम विमलपुरा बाया कालाडेरा तहसील चौमू जिला जयपुर 303801 मो. 8952955329।

दिनांक 28.04.2022 को परिवादी श्री महेश कुमार शर्मा एंव पटवारी श्री राजकुमार गोदारा से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता नहीं हुई है। दिनांक 29.4.2022 को पुनः रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड की गई।

दिनांक 30.04.2022 को परिवादी श्री महेश कुमार शर्मा उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। पूर्व मे कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित हालात में रखे हुए विभागीय रिकॉर्डर निकलवाकर तथा कार्यालय लेपटोप से जोडकर दिनांक 29.4.2022 को रिकॉर्ड हुई वार्ता को सरसरी तौर से सुना जिसमें पटवारी श्री राजकुमार गोदारा द्वारा 1,50,000/–रू रिश्वत कें रूप में मांगने की पुष्टि हुई तथा रिश्वती राशि सोमवार तक देने के सम्बन्धी वार्ता रिकॉर्ड हुई रिकॉर्ड वार्ताओं की गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसकिप्ट व सीडीयां तैयार की जावेगी। दोनों रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया। परिवादी को मुनासिफ हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 10.05.2022 को परिवादी के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने पर संदिग्ध अधिकारी श्री राजकुमार गोदारा पटवारी हल्का चौमूं जिला जयपुर के मध्य दिनांक 28.4.2022 एवं 29.4.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय आमने–सामने हुई वार्ता का रूपान्तरण तैयार करते वक्त आवाजों की पहचान परिवादी से करवाई तो परिवादी ने अपनी एवं आरोपी श्री राजकुमार गोदारा पटवारी की आवाज की पहचान की। उक्त वार्ता रूपान्तरण तैयार करने बाद रिकॉर्ड वार्ताओं की वॉईस क्लिपस को बारी–बारी से तीन अलग–अलग सीडी में राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिपस सीडी में रिकॉर्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीनों सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग–अलग सीडी मार्क A-1, A-2, A-3 (आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त सीडीयों में से दो सीडी मार्क A-1 व A-2 को अलग–अलग प्लास्टिक के कवर में रखकर अलग–अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गई। पैकेटों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। सीडी मार्क A-1 व A-2 को सुरक्षित रखा गया। सीडी मार्क A-3 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गई। जिसकी फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 11.05.2022 समय 1.40 पीएम पर परिवादी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,50,000/– रूपये जिनमें दो–दो हजार रूपये के 75 नोट है जिसकी फर्द पेशकशी पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 11.05.2022 को मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान एवं स्वतंत्र गवाह मय ट्रैप पार्टी मय ट्रैप बाक्स मय सरकारी वाहन व परिवादी के परिवादी की प्राईवेट कार के ट्रैप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ बराला अस्पताल चौमू के पास पहुंचा एवं ट्रेप जाल बिछाया गया।

परिवादी बिना कोई ईशारा किये अपनी कार में बैठकर बराला अस्पताल की ओर रवाना हो गया जिस पर पुलिस निरीक्षक ने आस पास मुकिम ब्यूरो स्टाफ तथा स्वतंत्र गवाहान को वाहनों में बैठने का ईशारा किया और परिवादी की कार के पीछे पीछे रवाना

होकर बराला अस्पताल चौमू के [illegible] पहुंचा [illegible] परिवादी को पूर्व में सुपुर्द शुदा विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर [illegible] अपने पास रखा परिवादी ने बताया कि पटवारी कार्यालय [illegible] में [illegible] स्विच आफ आ रहा है तत्पश्चात परिवादी श्री महेश कुमार [illegible] को स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु कुमार से निकलवाये [illegible] सुरक्षित रखे गये, ट्रेप रिकार्डर को प्राप्त किया गया। तत्पश्चात [illegible] आरोपी से सम्पर्क होने पर अवगत कराने की मुनासिब हिदायत [illegible] किया गया। पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी को [illegible] छोड़ कर [illegible] आया। दिनांक 29.04.2022 को परिवादी एवं आरोपी पटवारी राजकुमार [illegible] के सम्बंध में हुई वार्ता में "परिवादी महेश [illegible] आरोपी राजकुमार ने परिवादी से कहा.....थोड़ा [illegible], परिवादी [illegible] दिनों में हो जायेगा अपना काम, आरोपी राजकुमार कहता है... [illegible] अलग लगेगा (पहले क्या बताया उस टाईम), परिवादी कहता है [illegible] आरोपी राजकुमार कहता है...... जो भी है अब क्या करें, परिवादी महेश कहता [illegible] पचास हजार बताये है, आरोपी राजकुमार कहता [illegible] अगर काम करवाना है तो इसलिये मेरा यह आईडिया [illegible] सकता है.....पूरा तो कैसे होगा सर आज, आरोपी राजकुमार [illegible] लाख रूपये, परिवादी महेश कहता है.....सर [illegible] रूपये आरोपी राजकुमार कहता है....हूं, परिवादी महेश कहता [illegible] सोमवार से पहले पहले हो जायगी, आरोपी राजकुमार कहता है [illegible] राजकुमार कहता है......नहीं तो इता बडा पैमेन्ट थोडे [illegible] कहता है....मैं ऐसे बोल रहा हूं भाई ऐसे बोल रहे [illegible] राजकुमार कहता है.....कि एक पचास का कैश [illegible] रूपये रिश्वत के रूप में परिवादी ने देने हेतु कहा [illegible] दी थी), आरोपी राजकुमार कहता है.....हूं, परिवादी महेश [illegible] अभी मार्च से हालत खराब है नहीं एक [illegible] परिवादी महेश कहता है....ढाई तीन लाख [illegible] राजकुमार कहता है...... लेकिन प्रचार मत करना काम [illegible] हुआ हुआ कैंसिल हो सकता है ये ध्यान रखना, [illegible] कोशिश करना आज ही हो जाये तो काम हो जाये, परिवादी महेश [illegible] करता हूं कोशिश चाचा से बात करता हूं ।

दिनांक 06.06.2022 [illegible] ब्यूरो कार्यालय आया एवं एक लिखित प्रार्थना पत्र [illegible] भनक लग गई है वह मुझसे अब कोई बात नहीं करता है [illegible] अब मुझसे वह रिश्वत के रूप [illegible] पर शक होने पर तथा आरोपी पटवारी [illegible] नहीं की है, परन्तु आरोपी एवं परिवादी के मध्य रिश्वत मांग [illegible] से आरोपी श्री राजकुमार गोदारा तत्कालीन [illegible] चौमू जिला जयपुर द्वारा परिवादी से [illegible] प्रथम दृष्टतया प्रमाणित है।

अतः आरोपी राजकुमार [illegible] जे, 113, आर.पी. ए. शास्त्रीनगर, जयपुर [illegible] पटवारी हल्का सिंगोदखुर्द (कार्यवाहक), [illegible] चौमू जिला जयपुर [illegible] धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम [illegible] हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(Signature)

([illegible] सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
[illegible] ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजकुमार गोदारा, तत्कालीन पटवारी हल्का ग्राम विमलपुरा हाल पटवारी सिंगोदखुर्द (कार्यवाहक) तहसील चौमू, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 344/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2996-3000 दिनांक 31.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

31.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।